भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *26

गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)

देश में रोजगार सृजन

*26. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमूः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी-कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं;

(ख) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क से घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

***

“देश में रोजगार सृजन” के संबंध में डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू, सांसद द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 03-02-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *26 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जा रहे हैं। नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के लिए है। 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का वर्ष-वार/राज्य वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है एवं सामान्य स्थिति आधार पर व्यापक उद्योग विभाजन में वर्ष-वार कामगारों का प्रतिशत विवरण अनुबंध- II पर है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 29.01.2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 21.01.2022 तक 32.12 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध-I

देश में रोजगार सृजन के बारे में पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 03-02-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *26 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति के अनुसार, कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) आयु समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	डब्ल्यूपीआर		
		2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	57.2	54.8	55.5
2	अरुणाचल प्रदेश	42.3	40.9	44.3
3	असम	43.7	43.4	43.2
4	बिहार	35.5	36.4	39.7
5	छत्तीसगढ	62.4	61.2	65.4
6	दिल्ली	42.7	44.5	43.3
7	गोवा	42.9	45.9	47.3
8	गुजरात	47.4	49.7	54.7
9	हरियाणा	41.7	41.9	42.9
10	हिमाचल प्रदेश	58.9	63.9	70.5
11	जम्मू और कश्मीर	51.0	52.9	52.5
12	झारखंड	41.7	44.9	53.6
13	कर्नाटक	49.1	49.3	53.1
14	केरल	41.2	44.9	45.3
15	मध्य प्रदेश	54.3	52.3	57.7
16	महाराष्ट्र	50.5	50.6	55.7
17	मणिपुर	42.5	44.3	45.5
18	मेघालय	62.3	61.8	58.6
19	मिजोरम	46.4	45.6	50.7
20	नागालैंड	32.8	38.1	44.8
21	ओडिशा	44.9	47.6	51.9
22	पंजाब	42.9	44.2	47.8
23	राजस्थान	48.2	50.0	55.0
24	सिक्किम	58.7	61.1	68.8
25	तमिलनाडु	51.0	51.4	55.3
26	तेलंगाना	49.8	50.6	55.7
27	त्रिपुरा	42.0	41.9	49.6
28	उत्तराखंड	40.6	41.4	49.5
29	उत्तर प्रदेश	41.8	40.8	45.1
30	पश्चिम बंगाल	47.8	49.7	49.7
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	48.7	49.1	49.8
32	चंडीगढ़	46.9	47.3	45.5
33	दादर और नगर हवेली	66.3	68.6	72.2
34	दमन और दीव	63.2	55.1	64.5
35	लक्षद्वीप	34.4	29.5	48.0
36	पुदुचेरी	37.8	47.8	47.7
37	लद्दाख	-	-	62.7
	अखिल भारत	**46.8**	**47.3**	**50.9**
	अनुमानित रोजगार**	**47.14 करोड़**	**48.78 करोड़**	**53.53 करोड़**

* कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर): डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है

**आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

अनुबंध -II

देश में रोजगार सृजन के बारे में पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 03-02-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *26 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

व्यापक उद्योग विभाजन द्वारा सामान्य स्थिति में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग विभाजन	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
कृषि	44.1	42.5	45.6
खनन और उत्खनन	0.4	0.4	0.3
विनिर्माण	12.1	12.1	11.2
विद्युत, जल आदि	0.6	0.6	0.6
निर्माण	11.7	12.1	11.6
व्यापार, होटल और रेस्तरां	12	12.6	13.2
परिवहन, भंडारण और संचार	5.9	5.9	5.6
अन्य सेवाएं	13.2	13.8	11.9

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।